न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2016 – निगरानी

1. ग्राम पंचायत पण्डेर , जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. श्रीमती कलाली देवी पत्नी ओम प्रकाश कंजर निवासी पण्डेर, ग्राम पंचायत पण्डेर, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

निगरानी विरूद्व पत्रावली सं. 06 दिनांक 12.11.2012

उपस्थित –

1. श्री कमल काष्ट अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 30.05.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 23.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के विपरीत जाकर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निगराकार सं. 01 कलाली देवी को एक पट्टा दिनांक 20.10. 2014 को पत्रावली सं. 06/12.11.2012 को जरिये निशुल्क जारी किया गया हैं, जिसकी नपती उत्तर–दक्षिण 30 फीट एवं पूर्व–पश्चिम 45 फीट हैं । उक्त पट्टा नियमों के विरूद्व होने से खारिज योग्य हैं । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में निशुल्क पट्टा जारी किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं । पट्टा जारी होने से पूर्व ही गैर निगराकार सं. 01 के पास पक्का आवासीय मकान हैं। ऐसी स्थिति में निशुल्क पट्टा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया जाना अनुचित हैं । गैर निगराकार सं. 01 के पास पर्याप्त मात्रा में सिंचित भूमि हैं एवं आय का अच्छा साधन है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत मिसल कायम की गई, जबकि प्रार्थी को नियम 157(2) के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

पट्टा जारी किया गया जो कानूनन अवैध है। इस कारण पट्टा निरस्त किये जाने योग्य हैं। कलाली देवी गैर निगराकार सं. 01 के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रमाणित होता हैं कि प्रार्थना पत्र विनियमितिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया हैं, जबकि वास्तव में विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई पुराना मकान इत्यादि नही बना हुआ हैं । ऐसी स्थिति में विनियमितिकरण का मामला नहीं बनता हैं तथा गैर निगराकार सं. 01 को जानबूझकर अनुचित लाभ प्राप्त करने व देने की गरज से विवादित पट्टा जारी किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 कलाली देवी के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.10.2014 बपत्रावली सं. 06 दिनांक 12.11.2012 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत पण्डेर से पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार की ओर से दिनांक 21.02.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 15 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के विपरीत जाकर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निगराकार सं. 01 कलाली देवी को एक पट्टा दिनांक 20.10.2014 को पत्रावली सं. 06/12.11.2012 को जरिये निशुल्क जारी किया गया हैं, जिसकी नपती उत्तर–दक्षिण 30 फीट एवं पूर्व–पश्चिम 45 फीट हैं । उक्त पट्टा नियमों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में निशुल्क पट्टा जारी किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं । पट्टा जारी होने से पूर्व ही गैर निगराकार सं. 01 के पास पक्का आवासीय मकान हैं । ऐसी स्थिति में निशुल्क पट्टा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया जाना अनुचित हैं । गैर निगराकार सं. 01 के पास पर्याप्त मात्रा में सिंचित भूमि हैं एवं आय का अच्छा साधन है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत मिसल कायम की गई, जबकि प्रार्थी को नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया जो कानूनन अवैध है। इस कारण पट्टा निरस्त किये जाने योग्य हैं । कलाली देवी कंजर गैर निगराकार सं. 01 के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रमाणित होता हैं कि प्रार्थना पत्र विनियमितिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया हैं, जबकि वास्तव

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

में विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई पुराना मकान इत्यादि नही बना हुआ हैं । ऐसी स्थिति में विनियमितिकरण का मामला नहीं बनता हैं तथा गैर निगराकार सं. 01 को जानबूझकर अनुचित लाभ प्राप्त करने व देने की गरज से विवादित पट्टा जारी किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 कलाली देवी के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.10.2014 बपत्रावली सं. 06 दिनांक 12.11.2012 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें ।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । गैर निगराकार को ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अंतर्गत आबादी भूमि का निशुल्क आंवटन दिनांक 20.10.2014 को किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 इस प्रकार है – " भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन (1) पंचायत, गांव, आबादियों में (300 वर्ग गज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को , गांव के कारीगरों , श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों , एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं गृह स्थल / गृह नहीं है और ऐसे बाढगस्तों को भी जिनके गृह बह गयें या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी । (परन्तु यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निशुल्क आवंटन कर सकेगी । (और ऐसी भूमि का पट्टा प्रारूप 2 3 ग में जारी किया जा सकेगा)) ।

सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर की पत्रावली सं. 06 दिनांक 12.11.2012 निर्णय दिनांक 20.10.2014 के अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि कलाली देवी निवासी पण्डेर के नाम पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (2) के अंतर्गत 30 गुणा 45 फीट कुल 1350 वर्ग फीट आबादी भूमि के भूखण्ड का निशुल्क पट्टा जारी किया । ग्राम पंचायत पण्डेर की उक्त पत्रावली में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा कार्यवाही विवरण फोटोप्रति फोर्मेट में नाम व पते व अन्य सूचना काली स्याही के पेन से अंकित किये गये । पत्रावली में दिनांक 12.11.2012 को दायर करने व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 146(2), 146(3), 147(1), 148(2) 149 के अंतर्गत प्रकिया का अंकन करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158(1) के अंतर्गत कलाली देवी निवासी पण्डेर के नाम 30 गुणा 45 फीट कुल 1350

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

वर्ग फीट आबादी भूमि का निशुल्क भूखण्ड जारी करने का निर्णय पारित करने का अंकन किया हुआ है ।

पत्रावली में कलाली देवी निवासी पण्डेर द्वारा दिनांक 12.11.2012 को सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । उसमें पुराने मकान का पट्टा बनाने हेतु निवेदन किया है, जबकि कलाली देवी के नाम पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड का निशुल्क पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गयी, जो विरोधाभास प्रकट करती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत पण्डेर के मौका निरीक्षण पत्र दिनांक 20.08.2014 में पंचों द्वारा कलाली देवी के नाम पर पट्टा देने के संबंध में निशुल्क भूखण्ड का पट्टा देने की अनुशंषा अंकित की हैं। पत्रावली में कलाली देवी का बीपीएल में चयनित परिवार कमांक का शपथ पत्र संलग्न नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा कलाली देवी के बीपीएल में चयनित नहीं होते हुए भी निशुल्क पट्टा जारी कर पट्टा जारी कर दिया गया है जो विधि विरूद्व है । सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जो कार्यवाही की गयी , पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 149 में विहित प्रकियाँ की स्पष्ट उल्लघंना प्रतीत होती हैं। वर्षों पुराने मकान का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) (2) के अंतर्गत जारी करने का प्रावधान हैं। जबकि सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 (1) के तहत निशुल्क पट्टा विधि विरूद्व जारी किया हैं, जो अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत पण्डेर विरूद्व पत्रावली सं. 06 दिनांक 12.11.2012 में जारी पट्टा दिनांक 20.10.2014 के कम में स्वीकार की जाकर गैर निगराकार के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जारी निशुल्क पट्टा दिनांक 20.10.2014 पत्रावली सं. 06 में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) में विहित शर्तों की पालना नहीं की जाने से गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.10.2014 पत्रावली सं. 06 को अपास्त किया जाता है । सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर को निर्देश दिया जाता है कि तथाकथित पट्टा विलेख व पत्रावली पर निरस्तीकरण के आदेश उल्लेखित किया जावे । निर्णय प्रति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे। आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.05.17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा